DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall continue Discussion on the Working of Ministry of Minority Affairs. Shrimati Vasanthi Stanley.

SHRIMATI VASANTHI STANLEY (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to participate in this discussion. At the outset, I would like to congratulate the UPA-I and UPA-II Governments for their commitments to the welfare of the minorities and the systematic approach with which the overall development is being achieved.

Sir, due to time constraint, I would make my observations very quickly. First of all, I would like to mention about the linguistic minorities. Sir, the department's allocation of business includes 'linguistic minorities' also but the Linguistic Minorities Commission, with its headquarters at Allahabad does not fall within the purview of article 30 of the Constitution of India. As this has been created under an executive order, it has no adjudicatory powers. A commission without any adjudicatory powers is literally a toothless tiger. Hence, I request that more powers should be given to the Linguistic Minorities Commission, and, it should be brought under the statutory framework.

As an ex-member of the National Commission for Minority Educational Institutions (NCMEI), I would like to bring to the notice of the hon. Minister that the NCMEI has imbibed a new confidence in minorities, who run the educational institutions and do wonderful service to the society. Again, the linguistic minorities should be included in its ambit and the NCMEI should function directly under the control of the Ministry of Minority Affairs and not under the Ministry of Human Resource Development. Sir, I request that the hon. Minister should take personal initiative in this matter and the NCMEI should be brought under the purview of the Ministry of Minority Affairs.

Sir, now I come to my next observation. I would also like to draw the attention of the hon. Minister to the statement made in this House in 2007 by the then Minister for Minority Affairs, Shri A.R. Antulay, on the implementation of Sachar Committee's recommendations.

Sir, I would also like to congratulate the Ministry for forming the NMDFC, introducing various educational scholarships and all the measures which are being taken by the Ministry. Sir, my special reference goes to para 5 of the statement laid by the Minister, where there is a mention of 'Girls Only Schools', named, 'Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas'. Sir, I would like to mention here that though the educationally backward blocks have been identified from April, 2008, the number of schools has not been substantially increased. I wish the Minister pays special attention to the education of the Muslim minority girls.

[MR. CHAIRMAN in the Chair]

Sir, my next mention is about a promise made by the Minister regarding civil rights centers, especially to be opened in the universities, beginning with the Central universities. The National Minority Development Finance Corporation was proposed to be restructured in the grameen style but till date, no steps have been taken in this regard. If it is restructured in the grameen style, this would facilitate the NMDFC to reach the minorities at the grassroot level and uplift their livelihood in a better way. Sir, what happened to the foreign educational loans proposed by the Ministry? I would like the Minister to intervene in this matter. Alongwith other scholarships like pre-matric, post-matric and merit-cum-means scholarships... this facility should also be given to minority students so that they get better opportunities for education. The NMDFC has claimed to have declared minority concentrated towns. In Tamil Nadu, Vellore, Ambur, Vaniyambadi, Tirupattur, Krishnagiri, Udhagamandalam, Coonoor, Mettupalayam, Dindigul, Nagapattinam, Thoothukudi, Puliyankudi, Kadayanallur, Tenkasi, Tirunelveli and Nagercoil are identified by the Ministry as areas which are more than 25 per cent thickly populated by the minority population. But the NMDFC, as of now, is not giving any special services here even when it has identified these districts in Tamil Nadu. Instead it is being mentioned that Tamil Nadu as a whole is educationally, economically, and socially well off. These places are not given any special grants or any special schemes by the Ministry of Minority Affairs and that is why Tamil Nadu is not finding any place in the Annexure IV (A) and (B) given by the Department. Is it not a punishment for a State like Tamil Nadu which is performing very well and for that its minorities are being deprived of their rights? It just wonders me. I request that all the welfare schemes, which are being identified by the Ministry, should be passed on to the specially identified districts and towns.

My next point is about equity contribution. The National Backward Classes Finance and Development Corporation is not insisting on equity contribution. The National Scheduled Castes Finance and Development Corporation is not insisting on any equity contribution by the States either. I would like to know this from the hon. Minister in what way the minority population of this country is better than the backward classes and the scheduled castes people. Equity contribution should not be insisted by the NMDFC, and in future this issue needs reform.

I would like to mention about Government guarantee regarding auto loans. Tamil Nadu is making hundred per cent repayment. The auto drivers belonging to minorities should not be equated with other drivers. I request the NMDFC not to insist on State's contribution and hundred per cent Government guarantee.

My next mention is about raising of annual income ceiling from Rs. 39,500 for rural areas and Rs. 54,500 for urban areas to Rs. 1 lakh. Next is, sanctioning of higher loan amount by

SCAs. Actually, the State Minority Commission is empowered to sanction loan upto Rs. 1 lakh only. I would like the Ministry to raise this upto Rs. 5 lakh.

On replacement of interest term, Sir, you know, as per the Quran, 'interest' is a word which is not accepted by the Muslim people, who are a minority. Why don't you restructure the name as 'administrative charges' instead of 'interest'?

Three per cent education loan scheme of the NMDFC may be made fully interest free. I would like to mention this New Swarnima Special Scheme introduced by the NBCFDC. That can be introduced by the Ministry of Minority Affairs.

Sir, last but not least, the Government of Tamil Nadu and our Chief Minister Kalaignar have been repeatedly writing to the Central Government requesting it to consider rights of dalit Christians saying that they should be treated on a par with SCs. If necessary, amendments have to be made. Thank you, Sir.

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): Hon. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to participate in this discussion on the Ministry of Minority Affairs. It is a bit unusual for a Deputy Chairman of this august House to participate in a discussion on the proceedings, but as a Member of this House, I have the right to participate. I consider this Ministry a very important Ministry and I would like to share my views on the functioning of this Ministry. Sir, there are about 250 million minorities in our country. Out of them, 70 per cent are Muslims, 15 per cent are Christians, 10 per cent are Sikhs and 5 per cent are other religious minorities. Sir, I must express my thanks to the hon. Prime Minister and the Chairperson of the UPA for creating this vital Ministry to address the aspirations of the minorities of our country. The mandate for this Ministry is too wide. It is inclusive. The purpose for which the Ministry has been created is to see that social justice is provided to every citizen, including the minorities. Here, articles 15 and 16 of our Constitution are very clear in this respect. The Constitution itself uses the words 'discrimination' and 'unequal treatment'. There is a word 'discrimination', there are words 'unequal treatment in it. So, when in a society, we are living in an unequal society, it is possible that there are prejudices, there are discriminations, there are unequal treatments.

So, it is the duty of any welfare state to see that discrimination is removed. That is why articles 15 (4) and 16 (4) have empowered the Government to remove this discrimination and unequal treatment. And I feel, within that the Government has a right to create a Ministry and address this issue in various sections of the society which include the minority. Sir, in this connection, the Government of India took a very right step to address the grievances of the minorities that they are receiving unequal treatment by establishing the Sachar Committee under the Chairmanship of Justice Sachar and that Committee Report is before the House and is being discussed.

The Government has taken several measures to implement the recommendations of the Sachar Committee, but an impression is there within the community that the total implementation has not been done and the implementation process is somewhat tardy. Particularly, establishment of equal opportunity commission, which was recommended, has not been done. Establishment of a Wakf Development Corporation to address the issue of development of Wakf has not been done. The data bank has to be established. There are so many other long term strategies, which have been recommended by the Sachar Committee, which have still not been taken up by the Government. I request the Government to see that the Sachar Committee Report is implemented in letter and spirit.

Regarding the Ranganath Misra Commission Report, it has already been laid before the House and the Government is yet to take a decision on it. There also, it is a question of reservation. Now, there are different opinions on reservation, whether it should be there or not. But I go back to articles 15 (4) and 16 (4). One of the methods by which the Government can remove this discrimination is through the route of reservation, which has been done. So, here also, I feel that it is constitutionally valid to have reservation under articles 15 (4) and 16 (4) to remove the discrimination or unequal treatment. I hope the Government will take an early decision on the recommendations of the Ranganath Misra Commission Report whether they accept or modify it. But the Government has to take immediate action.

Sir, I compliment the Ministry for the massive scholarship programmes which they have taken up for the minorities.

Education is very important for the development of any society. Without education no society can develop. It is a fact that the Muslim community is the most backward in the field of education. I happened to be the Chairman of the Minority Commission in Karnataka and I conducted there a socio-economic survey of one million minority people belonging to Sikh, Christian, etc. Karnataka is supposed to be a progressive State in the field of education. The drop-out rate at the level of 7th standard is 93.5 per cent there. It is a Government's survey. It is not anybody else's survey. In a community where the drop-out at the level of 7th standard is 93 per cent, some steps on a war-footing should be taken to set the things right. That is why the scholarship programme is one of the good programmes. But it does not reach it. You have targeted. You have so many scholarships. Its educational backwardness is so large. The Sachar Committee Report says that this community is even behind the SCs and STs in the field of education. When the scale of backwardness in the field of education is so large and the requirement of scholarships is two-three lakhs, you just give 20,000 or 30,000 scholarships. It should be demand-driven. It should not be that you fix a particular quantum and done. I request the Government to consider and extend whatever is applicable to the SCs & STs in the field of education to this community also.

You have the MCD programme, that is, the Minority Concentrated District Programme. I am sorry to say that it is not taken off. On what basis have you bifurcated these 90 districts as minority concentrated population districts? But, firstly, it has not been implemented. Secondly, it has been left to the mercy of the State Governments. The State Governments have also to contribute, I am told, 15 per cent or 20 per cent of the fund. Some of the State Governments are not contributing. Even the Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment has recently stated that most of the amount earmarked for this programme has not been spent. Let me tell you that it has not made any impact on the minority. What is required is that it should be block-wise and not district-wise. A district is too big an area where sometimes it is left to the Collector to implement it or he can do it where there is no minority. So, it is better to have blocks as the criterion instead of Minority Concentrated District.

Sir, the three issues which I would like to discuss in this House are of vital importance. One is the Wakf. The Muslim community has got this kind of properties because of the endowments. The Wakf properties in this country are enormous. There are more than four lakh acres of land. Probably, after Defence and the Railways, it is the third major holder of land. It is endowed land. It does not belong to anybody. It is endowed. It comes to four lakh acres. Out of this, two lakh acres are under encroachment or under dispute. Sometimes the Government has taken over the land. There are disputes between the Government and the Wakf Board as to whether such and such property is a Wakf property or not. More or less two lakh acres of land are in dispute. Another two lakh acres of land remain. What are you going to do with these two lakh acres of land? Unless you develop it, what is the use of the land? Take, for example, the small piece of land in Mumbai, which is a Wakf land, where the biggest house of the world belonging to a businessman has come up. The land is a Wakf land. It has been sold for a paltry sum. Take the cases of Tollyganj Club in Kolkata, the Race Course in Kolkata and the Windsor Manor Hotel in Bangalore. All these properties are Wakf properties. Thousands of such Wakf properties are there. These properties should be developed. But does the Muslim community need help from anywhere else?

There is no need. They can have their own educational institutions. They can invest. But there is no will, there is no vision. I would like to appeal to the hon. Minister of Minority Affairs to have a vision document on Wakf development. We have given reports. In fact, the Joint Parliamentary Committee on Wakf has submitted a comprehensive Report. That comprehensive Report deals with various aspects of Wakf. We do not still have an ATR on the JPC Report. Forget about what we have to get back. Why don't we create an institutional mechanism to develop these Wakf properties? We don't need Government patronage, we don't need Government funds. These 15 crore Muslims of the country should contribute for their own development. Let us not make this community or ask this community to seek help. Empower

them; facilitate them to stand on their own legs. This is what is needed. How much can the Government allocate? It is being said that you have given only Rs. 1 crore in the Budget for Wakf. Even if you give Rs. 100 crores, it will not be sufficient to put up one building. There is a need to have an institutional mechanism. Section 32 (5) of the Wakf Act mandates the Wakf Boards to develop the Wakf properties, but not a single property has been developed by the Wakf Boards. So the blame is not on others; the blame is on us. We have not done our work properly.

So I request the hon. Minister to have a vision document on Wakf development. The JPC has said that if Rs. 10,000 crores are invested for developing the Wakf properties, the Muslim community can have an annual income of Rs. 10,000 crores. Making an investment of Rs. 10,000 crores is not a difficult thing. Therefore, I would request the hon. Minister to throw some light on this and see to it that a Wakf Development Corporation at the national level is set up. The State Governments are not able to do it. They are using it as a political weapon. The appointments of members and all are not being used for the purpose of development. There is a need for drastic changes in the Wakf Act, transparency in the appointments of members of Wakf Boards and then see to it that the Wakf Act really works for the development of the Wakf properties. Then there is also a need for a dispute settlement mechanism.

The second issue which I would like to deal with — though it is not your subject, Mr. Minister, but you have the right under the mandate that wherever the minorities are involved, you have a say — is Haj. We did not ask for subsidy. The Muslim community has never asked for the subsidy that you give. Why was the subsidy given? Earlier the pilgrims used to go by ship, but due to various reasons, the ship was cancelled. Then initially, a small subsidy was given to the poor Hajis to go by air. Later on, this was gradually increased from Rs. 10 crore to Rs. 800 crore. Why subsidy? As the hon. Member, Shri Mukhtar Abbas Naqvi said yesterday, it is a cross-subsidisation to Air India. Yes, I have been fighting right from 1997 for that; justify the subsidy. I have written to the then Prime Minister; I have also written to the then Minister of Civil Aviation to justify it. For example, Air India is charging Rs. 85,000 per Haji; whereas, if I do not go through the Haj Committee, I can go to Jeddah and come back in only Rs. 35,000. So, Rs. 35,000 is the maximum amount. Even some aircraft are taking Rs. 16,000 or Rs. 20,000 or Rs. 25,000. They say that they are charging Rs. 85,000 because it is a chartered flight, one-way flight. Even if it is a chartered flight, it goes with a hundred per cent capacity. There is no other paraphernalia, no other expenditure. The Hajis are taken in groups.

So, how do you justify this cost of Rs. 85,000? Sir, on the Haj matter, there are two issues on which, I think, there is a need for reform. Firstly, there is no need for subsidy. Create a

logistic corporation, and give it to them. This is an independent statutory body. You create it, and they can manage its affairs. I have also discussed it with the Minister of External Affairs.

The last point, which I would like to say, is about the saving mechanism. Now, we all know that taking or receiving interest is prohibited in Quran. It is a religious belief; there may not be any logic or justification to it. But now what they are saying is that they want to save money for their own development and, therefore, they want to create an institutional mechanism. We all see the drastic changes that have taken place in the financial sector. Twenty five years back, nobody knew what the Mutual Fund was. This Mutual Fund, itself, is an investment without interest. If you look at the definition of Mutual Fund, it does not work on interest. And, Mutual Fund is a part of the Islamic economic approach. It is 100 per cent a part of the Islamic approach. Therefore, when you are creating Mutual Funds, when you are creating Venture Capital Funds, if the Community, for its own benefit, wants to create a similar institutional mechanism, they say, "You cannot do that." When you look at the world scenario, there is more than one trillion dollars of funds all over the world. The United States have opened it. In fact, all the European countries have given the facility. Then, what is prohibiting our country from doing it? The Prime Minister, when he had visited Malaysia, said that it should be studied. Even then, there is some hesitation. So, if you fulfill these two needs of the Muslim community, they will not have to depend on anything. They will be a part of the governance, and they will be able to contribute to the economy. They will also be able to save money through this mechanism. Malaysia is a small country with one-and-a-half crores of Muslim population. Though it constitutes a majority of the population, they have created a separate mechanism. They have got 10 billion dollar fund under Tabung Haji.

Sir, these are the few things which I wanted to share before the House. I once again thank you for having given me this opportunity.

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड): सभापति महोदय, Minority Affairs के मंत्रालय पर चर्चा हो रही है। कल से चर्चा में एकाध सदस्यों को सुनने के सिवाय सबको सुनने पर लगा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय लगता है सिर्फ एक समुदाय का मंत्रालय है। अल्पसंख्यक समुदाय में अगर मैं बड़े से छोटे को गिनूं तो यह मुस्लिम समुदाय के लिए सिख के लिए ईसाई के लिए जैनियों के लिए बुद्धिष्टों के लिए और पारसियों के लिए है। अगर मैं पूरे राष्ट्र को देखूं तो जो सारे भारत में अल्पसंख्यक हैं वे जम्मू-कश्मीर में बहुसंख्यक हैं। कश्मीर में वे बहुसंख्यक हैं और वहां हिन्दू अल्पसंख्यक हैं।

अगर मैं नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को देखूं तो वहां क्रिश्चियन्स बहुसंख्यक हैं और जो अन्य समुदाय हैं, वे अल्पसंख्यक हैं। इसी तरह से अगर मैं पंजाब में देखूं, तो पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं और हिन्दू अल्पसंख्यक हैं। जब इस मंत्रालय का गठन हुआ, देर आयद दुरूस्त आयद, हमारे पूर्व वक्ता विद्वान साथी रहमान खान जी ने संविधान का उल्लेख करते हुए बताया कि हमारे पूर्व पुरुषों ने, संविधान बनाने वालों ने यह प्रावधान रखा कि जब अन-इकवलिटी होगी, तो कैसे प्रावधान होंने चाहिए, उन सभी चीजों का संरक्षण करने के लिए यह मंत्रालय बना। मैंAllocation of Business देख रहा था। मुझे Allocation of Business को देखकर

थोड़ा आश्चर्य हुआ था कि इस Allocation of Business में करीब 19 बिन्दु हैं। हमारे विद्वान साथी रहमान साहब ने Wakf Board की प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हुए बहुत सी बातें रखीं, जो बहुत सा ज्ञान देती हैं। हमारे यहां Allocation of Business में Point 7 है: Representation of Anglo-Indian Community. Anglo-Indian Community का मतलब, जो मुझे समझ में आता है कि माता या पिता दोनों में से एक अंग्रेज होना चाहिए, तभी वह Anglo-Indian कहलाएगा। हमारे देश को आजाद हुए 63 साल हो गए हैं और जितने यहां पर अंग्रेज थे, सब चले गए। हो सकता है कि उनमें से कुछ यहां पर बस गए हों, कुछ यहां रह गए हों, किन्तु अभी जहां पर नए राज्यों का गठन हो रहा है, वहां पर भी यह प्रावधान रखा जाता है। यह प्रावधान पार्लियामेंट में तो है, क्योंकि पार्लियामेंट उस वक्त बनी थी, जब वे यहां पर थे। कुछ विधान सभाएं जो उस वक्त बनीं थीं, वे लोग उस समय भी थे, लेकिन आज जहां नए राज्यों का गठन हो रहा है, वहां पर भी यह प्रावधान है। संविधान की विधा को पूरा करने के लिए इनको सर्चलाइट लेकर पूरे राज्य में ढूंढना पड़ता हैं कि कहां Anglo-Indian है। हमारे पूर्व पुरुषों ने इसके लिए भी ध्यान दिया है, अच्छी बात है। उन्होंने यह भी ध्यान दिया कि जो micro से भी micro मॉइनोरिटीज हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए। इसका पार्लियामेंट में और विधायिका में अपना स्थान होना चाहिए।

महोदय, List 8 में लिखा है, Protection and preservation of non-Muslim shrines in Pakistan and Muslim shrines in India in terms of Pant-Mirza Agreement of 1955 in consultation with the Ministry of External Affairs. अभी यहां पर Wakf Board पर चर्चा हो रही थी, पिछले दिनों लाहौर में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे को evacuee property कहकर बेच डाला। वहां की स्टेट वालों ने वहां पर बिल्डिंग बनाने के लिए, फ्लैट बनाने के लिए उस गुरुद्वारे को बेच डाला और हमारी सरकार मूकदर्शक बनकर देखती रही। इस प्रावधान की विधा के अनुसार आपको MEA के माध्यम से पाकिस्तान सरकार के साथ इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन हम उसमें असमर्थ रहे। आप जानते हैं कि सारी दुनिया में जहां-जहां चांद की चांदनी पहुंचती है और सूरज की रोशनी पहुंचती है, वहां-वहां हर जगह सिख अपनी अरदास में, हर रोज की प्रेयर में कहता है कि हे अकाल पुरख, जिन्हां गुरुद्वारयां तों विछोड़या गया है, उन्हां गुरुद्वारयां दी सेवा संभाल बक्शणां।

वह अकाल पुरुष से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि उसकी सेवा सँभाल करने का अधिकार मुझे बख्शना, अर्थात् मेरे अधिकार क्षेत्र में उसको लाना। यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में था, जिसे रोका जा सकता था, लाहौर का गुरुद्वारा हम नहीं रोक सके। उसी तरह क्या महाराजा रणजीत सिंह जी का पैलेस, जो लाहौर में बना हुआ है, इसी तरह का arrangement हमारे साथ है, श्राइन के साथ-साथ हमारे जो दूसरे monuments हैं, हम मुगलों के बनाए हुए चिन्हों को preserve करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, किन्तु क्या सिख साम्राज्य के बनाए हुए चिन्हों को, पाकिस्तान में उनकी सुरक्षा या उनको preserve करने के लिए हमने कोई प्रावधान रखा या हमारा यह मंत्रालय कभी यह आवाज उठाने की कोशिश करता है? मैं समझता हूँ कि हम इसमें व्यर्थ रहते हैं।

फिर माइनॉरिटी के लिए प्राइम मिनिस्टर का एक 15 प्वायंट प्रोग्राम है। महोदय, मैं सिख समुदाय से आता हूँ। मैंने आपके 15 प्वायंट प्रोग्राम में पढ़ा कि Integrated Child Development Scheme के तहत, सर्व शिक्षा अभियान, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बैंक क्रेडिट under priority sector, इंदिरा आवास योजना, आपने इस तरह से 15 प्वायंट प्रोग्राम दिया हुआ है। मैं कहता हूं कि सिख समुदाय माइनॉरिटी में रहते हुए ऐसे हाथ नहीं पसारता, आप पूरे देश में, पूरी दुनिया में मुझे कोई भिखारी सिख दिखा दीजिए, वह कभी ऐसे हाथ नहीं पसारता, हाथ ऐसे रखता है। वह

आपसे 15 परसेंट नहीं माँग रहा , वह सिर्फ एक अधिकार माँगता है कि इस 15 परसेंट के तहत क्या जम्मू - कश्मीर की पुलिस फोर्स में आप सिखों को नौकरियाँ देंगे या दिलवाएँगे? क्या आप नॉर्थ-ईस्ट की पुलिस फोर्स में सिखों को नौकरियाँ दिलवाएँगे? सिख को गौरव महसूस होता है, जब वह यूनिफॉर्म पहनता है, जब वह वर्दी पहनता है। जब वह अस्त्र-शस्त्र से अपने शरीर को सजाता है, तो अपने ऊपर फ़ख्र महसूस करता है कि वह वाकई गुरु गोविन्द सिंह का सिख है। पर जब वह अधिकार उससे छीन लिया जाता है, जो छीन लिया गया, आर्मी में भर्ती होने का जो अधिकार उसे था, पॉपुलेशन के नाम पर बाँट दिया गया कि स्टेट की पॉपुलेशन के अनुसार आर्मी की "recruitment होगी। एक समय था, जब भारत की आर्मी में सिर्फ सिख ही दिखते थे। आज जब इसे पॉपुलेशन के हिसाब से बाँट दिया गया है, तो पंजाब की पॉपुलेशन बहुत कम है, किन्तु पंजाब के बाहर जो सिख रहते हैं, उनको कम-से-कम वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से recruitment में जाने दीजिए, आप उसको वह अधिकार तो दीजिए। क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, तराई के इलाके, गंगानगर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, इन इलाकों में जो सिख रहते हैं, अगर वे फौज में भर्ती होते हैं, तो वहाँ के recruitment centre में प्राइम मिनिस्टर की रोजगार योजना में माइनॉरिटीज़ के लिए जो 15 परसेंट रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसके तहत आप उनको नौकरी दिलाएँगे? अगर आप उन्हें डेवलपमेंट के प्रोग्राम में नौकरी दिलाएँगे, तो वे छाती चौड़ी करके राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता की रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे। मैं तब मानूँगा कि माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट वाकई माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए काम कर रहा है, अन्यथा मुझे लगता है कि माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया गया है कि तुम गरीब हो, गरीब रहो। माइनॉरिटी फाइनांस कार्पोरेशन का बजट कितना है? 25 हजार रुपए। 25 हजार रुपए में उसे क्या मिलेगा? ...*(व्यवधान)*... जी हाँ, एक लोन के लिए 25 हजार। आप एक आदमी को क्या देना चाहते हैं? अगर तुम्हें दर्जी बनना है, तो मशीन खरीद लो, तुम दर्जी रहो, दर्जी से ऊपर मत जाना।

कुछ और बनना चाहते हो, तो छोटी सी एक मशीन खरीद लो। 25,000 में तो एक छोटी सी लेथ मशीन भी नहीं मिलती है। साइकिल की दुकान खोल कर साइकिल के टायर का पंचर लगाना हो तो लगा लो, मीट-मछली की दुकान खोलनी हो, उसके लिए गंडासा खरीदना हो या लकड़ी खरीदनी हो, उसके लिए हम तुमको पैसा दे देते हैं। अगर आपने माइनॉरिटी का उत्थान करना है, माइनॉरिटी को ऊपर ले जाना है, तो क्यों नहीं आप उसको 25 लाख के लोन की गारंटी देते? इसके लिए क्यों नहीं फाइनांस कॉर्पोरेशन सामने आता? एक माइनॉरिटी का आदमी है, ट्रक ड्राइवर है और वह अपने लाइसेंस पर एक ट्रक लेना चाहता है, 20 लाख की तो उसकी Chassis ही आती है, लेकिन वह आप उसे देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? 25,000 में तो एक टैम्पो भी नहीं आता ...*(व्यवधान)*... आप माइनॉरिटी के साथ यह मखौल कर रहे हैं।

कल मेरे विद्वान साथी मुख्तार अब्बास नक़वी जी कह रहे थे कि दाढ़ी और टोपी पर अलक़ायदा का ठप्पा लगा दिया गया है। मुझे एक वाक़या याद आता है और उसे मैं आपके साथ सांझा करना चाहूंगा। 80 के दशक में एक वक़्त था कि अगर एक अंधे चित्रकार को भी कहा जाता कि एक आतंकवादी की तस्वीर बनाओ तो वह अंधा चित्रकार, जो सिर्फ सुन सकता था और अपनी क़लम चला सकता था, वह जो तस्वीर बनाता था, वह एक सिख की बनती थी। ऐसे सिख की तस्वीर बनती थी कि जहां रात के अंधेरे में भी मां-बहनें अपने आपको एक सिख का सहयात्री के रूप में चलना महसूस करती थीं और निडर होकर चलती थीं कि मेरे साथ एक गुरु का सिख चल रहा है। उस वक़्त अगर एक सिख बस पर चढ़ जाता था, तो बस थोन में लग जाती थी। अगर कोई सिख ट्रेन पर चढ़ जाता था तो पैसिंजर भाग जाते थे। लेकिन पिछले छः सालों में अगर उसी अंधे चित्रकार को आप फिर सामने ले आइए और उसको कहिए कि एक आतंकवादी की तस्वीर बनाओ, तो वह जो तस्वीर बनाता है, वह एक मुसलमान की बनती है। यह दुर्भाग्य है। माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट का काम है कि सबसे पहले उसे संरक्षण दीजिए। माइनॉरिटी का आदमी और कुछ नहीं चाहता है, वह स्वाभिमान से सिर ऊँचा करने का और जीने का हक़ चाहता है। वह हक़ आप उसे दिला दीजिए। आप वह हक़ उसे दिला दीजिए, लेकिन वह भी आप उसे नहीं दिला पा रहे हैं।

कल हमारे मार्क्सवादी कॉमरेड मोइनुल हसन साहब बहुत सही कह रहे थे कि अगर बैंक में किसी मुसलमान का नाम पढ़ लें तो उसको क्रेडिट नहीं मिलता, उसका एकाउंट नहीं खुलता। ये हालात हम 80 के दशक में देख चुके हैं और अभी तक ये हालात हम देख रहे हैं। अभी तक पटौदी और चिल्लर गांव में वे गढ़ी हुई लाशें निकल रही हैं, जहां न्याय नहीं मिला।

एक ज़माना था, लोग कहते थे कि अगर सिख किसी की गवाही में खड़ा हो जाए, तो और किसी की गवाही की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि यह माना जाता था कि वह जो बोल रहा है, सच बोल रहा है ...*(समय की घंटी)*... और आज जब उस सिख का मुक़दमा चलता है, तो जो गवाही देने आता है, या तो वह डरा-धमका कर भगा दिया जाता है या ज़हर देकर मार दिया जाता है और सारे केस खत्म कर दिए जाते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से इतनी ही गुज़ारिश करता हूं आपकी योजनाएं बहुत सारी हैं, उन्हें लाएं, जो भी लाना हो लाएं, लेकिन आपने ये जो योजनाएं बनाई हैं, ये योजनाएं आपने अल्पसंख्यकों को साथ बैठा कर नहीं बनाई हैं। अगर ऐसा होता तो ये जो आपके 15 Point Programme बने हैं, आप ये न बनाते, आप माइनॉरिटी फाइनांस कॉर्पोरेशन का ये बजट न रखते, लोगों को यह न कहते कि 25000 रुपये लोन ले जाकर काम करो। आप उनसे पूछते कि तुम्हारी बढ़ोतरी कैसे हो सकती है और फिर उनको आगे बढ़ने का रास्ता बताते पर वह रास्ता आपने नहीं बताया।

आप हमें स्वाभिमान से भारत में जीने का अधिकार वापस दिला दीजिए, हम खुद को धन्य समझेंगे। इतना कहते हुए, धन्यवाद।

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र)ः उपसभापति महोदय, जब तक जस्टिस राजेन्द्र सच्चर और जस्टिस रंगनाथ मिश्र जी की रिपोर्ट नहीं आई थी, देश में एक गलतफहमी थी। अभी हमारे कुछ साथी बोल रहे थे, मैं अहुवालिया जी की बात सुन रहा था, जिस परिवार से इनका संबंध है, उसी परिवार के लोगों.ने इस देश में यह भ्रांति पैदा की थी कि खासतौर पर इस देश के मुसलमानों का तुष्टिकरण होता है।

इस देश के मुसलमानों का अपीजमेंट होता है। यह एक भ्रांति सारे देश में थी। आम लोग यह समझते थे कि सही मायनों में मुसलमानों के साथ सरकार की नीति अलग होती है और दूसरे समुदायों के साथ दूसरी होती है। लेकिन, जस्टिस राजेन्द्र सच्चर की रिपोर्ट आने के बाद और रंगनाथ मिश्र जी की रिपोर्ट आने के बाद यह बात स्पष्ट हुई। उन्होंने खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय की बात कही कि उसमे खास तौर पर जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। सच्चर कमेटी ने पूरी गहराई से इसकी जानकारी प्राप्त की और इसके गहन अध्ययन के बाद वह इस नतीजे पर पहुँची कि खास तौर पर अगर मुस्लिम समुदाय को देश की मुख्य धारा से जोड़ना है तो हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे।

महोदय, आज मैं देश के मुसलमानों का खास तौर पर जिक्र करूँगा, क्योंकि जो सच्चर कमेटी बनी थी, वह इस देश के मुस्लिम समुदाय के जो सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस थे, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाई गई थी। उसने एक सच्ची तस्वीर सामने रखी, जो हकीकत की बुनियाद पर आधारित थी। उनकी एजुकेशन, इम्प्लायमेंट, एक्सिस टू क्रेडिट, एक्सेस टू सोशल एंड फीजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, पोलिटिकल इम्पावरमेंट, इन तमाम चीजों का जिक्र सच्चर कमेटी ने किया है और कहा है कि उनमें मुसलमानों की हालत बहुत ही दयनीय है। डिप्टी चेयरमैन साहब, जैसा आपने अपने भाषण में कहा कि इस देश में मुसलमानों की संख्या लगभग 14 प्रतिशत है, इनकी 150 मिलियन की आबादी है। भारतीय

मुसलमानों की आबादी, जो 150 मिलियन है, उसमें सोश्योइकोनॉमिक ट्रांस्फॉर्मेशन के लिए जो रिकमेंडेशंस सच्चर कमेटी ने की हैं, अगर उनको इम्प्लिमेंट कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस देश के मुस्लिम समुदाय में ड्रामैटिक चेंजिज़ आ सकती हैं। जिस तरह से मंडल कमिशन रिपोर्ट को लागू करके हमारे ओ.बी.सी. के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने का काम किया गया है और उससे उनके जीवन में परिवर्तन आया है, उसी तरह से अगर सच्चर कमेटी रिपोर्ट को भी लागू किया जाए और उसकी रिकमेंडेशंस को सरकार स्वीकार करे, तो मैं समझता हूँ कि इस देश के मुस्लिम समुदाय की स्थिति बहुत बदल सकती है।

महोदय, जहाँ तक मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन को देखने का प्रश्न है, तो उसको इस ढंग से नहीं देखना चाहिए कि वह एक विशेष समुदाय है या अल्पसंख्यक समुदाय है, बल्कि उसको एक नेशनल प्रॉब्लम की तरह देखना चाहिए, क्योंकि इस देश की जो आबादी है, अगर उसका एक बड़ा हिस्सा पिछड़ा रहता है, कमज़ोर रहता है और अगर वह देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़ता है, तो हमारा जो एक सपना है, मजबूत भारत बनाने का, वह सपना कभी साकार नहीं हो सकता है। डिप्टी चेयरमैन साहब, इतनी बड़ी जनसंख्या को हम अंधकार में रख कर देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।

आज अगर देखा जाए और अगर हम नेशनल एवरेज से मिलाते हैं, तो लिट्रेसी में नेशनल एवरेज जहाँ 65.1 परसेंट है, वहाँ मुस्लिम समुदाय का 59.1 परसेंट है। ड्रॉप आउट के मामले में प्राइमरी, मिडिल एंड हायर सेकंडरी तथा मैट्रिकुलेशन में नेशनल एवरेज जहाँ 17 प्रतिशत है, वहाँ मुसलमानों का 26 प्रतिशत है। अगर 50 पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, तो उनमें मुस्लिम्स की संख्या 2 प्रतिशत ही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में परसेंटेज 1.3 परसेंट है तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 3.3 परसेंट है।

बेरोजगारों की सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी समुदाय में है तो वह मुस्लिम समुदाय में है। आज जो प्रधान मंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया है, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है, क्योंकि सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जहां-जहां मुस्लिम समुदाय की आबादी है, जनसंख्या है, वहां जो बुनियादी ढांचा है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह उपलब्ध नहीं है। चाहे वह प्राइमरी स्कूल हो, डिस्पेंसरी हो, हॉस्पिटल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, रोड हो, बस सर्विसिज हो, ऐसी तमाम चीजों से वह वंचित हैं या उनकी संख्या बहुत कम है। इसलिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो इस देश में मुसलमानों की जो हालत है वह शैड्युल्ड कॉस्ट और शैड्युल्ड ट्राइब्स से थोड़ी बेहतर है। यह स्थिति आज इस देश की इतनी बड़ी जनसंख्या की है। सरकारी नौकरियों में चाहे पुलिस हो, पैरा मिलट्री फोर्स हो, रेलवे हो, पब्लिक अंडरटेकिंग्स हों, प्राइवेट सैक्टर हो, बैंक हों जहां भी ले लीजिए, वहां उनकी संख्या करीब-करीब नगण्य है। मैं आखिर में मंत्री महोदय से कहूंगा कि आपने भी कहा है कि मौलाना आजाद फाउण्डेशन को इफेक्टिव बनाए जाए, उसके corpus फंड को बढ़ाया जाए, जिसका जिक्र अहलुवालिया साहब ने भी किया है कि National Minorities Financial Corporation का corpus फंड बढ़ाया जाए, जो हम लोन देते हैं उसका रेश्यो बढ़ाया जाए, ताकि लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

वक्फ बोर्ड की बात आपने बहुत तफसील से कही है। यह बात सही है कि इसमें एंक्रोचमेंट है। अगर हम वक्फ बोर्ड को ही दुरुस्त कर दें तो मुसलमानों की जो एक बहुत बड़ी समस्या, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो या सेल्फ फाइनेंस की बात हो, उस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। आज हमारे देश में वक्फ बोर्ड की लगभग एक लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन इनका दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो रहा है।

महोदय, प्रधान मंत्री जी के 15 सूत्री कार्यक्रम को सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, जिसके लिए आपने 620 जिलों में से मात्र 90 जिलों को चुना है, जहां मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या ज्यादा है। आपने जो सुझाव दिया है मैं भी उसका समर्थन करता हूं कि इसको ब्लॉक स्तर पर ले जाने कोशिश करनी चाहिए, ताकि

हम ज्यादा से ज्यादा उस समुदाय के लोगों की मदद कर सकें। स्कॉलरशिप का भी विस्तार होना चाहिए, क्योंकि जो drop out होता है वह इस कारण होता है कि इनको स्कॉलरशिप नहीं है, आगे पढ़ने के लिए सुविधा नहीं है। अगर हम स्कॉलरशिप मुहैया करा सकते हैं तो उसको कराना चाहिए, राज्य सरकारों के रहमोकरम पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपने यह बिल्कुल सही कहा कि हम यहां से कार्यक्रम बनाते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर ढंग से होना चाहिए और उसके लिए जब तक आप कोई मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा नहीं बनाएंगे जो सही ढंग से इस बात का ध्यान रखे कि जो भी कार्यक्रम या जो भी धनराशि आप राज्यों को दे रहे हैं, वह सही ढंग से उस समुदाय के लिए, जिस समुदाय के लिए आपने व्यवस्था की है, पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। मैं समझता हूं कि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हमने हमेशा दलित मुसलमानों को उनका अधिकार देने की बात कही है और संविधान में इसका जिक्र भी है कि हम धर्म को रिजर्वेशन का आधार नहीं बना सकते हैं। जो दलित मुस्लिम हैं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, इसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। हम चाहेंगे कि इस पर कुछ कार्यवाही होनी चाहिए। मंत्री जी के लिए मेरे पास एक शेर है, जिसको मैं पढ़ना चाहता हूं:

"दुनिया में वही शख्स ताज़ीम के काबिल है,
जिस शख्स ने हालात का मुंह मोड़ दिया है।"

महोदय, मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने सलमान खुर्शीद साहब को जो यह जिम्मेदारी दी है और यह बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, तो हम चाहेंगे कि इनके मंत्रित्वकाल में जो समस्याएं हैं, उनका निदान हो, समाधान हो, ताकि जो इस देश के मुस्लिम समुदाय को देश की मुख्य धारा से जोड़ने की बात बार-बार कही जाती है, वह सही ढंग से हो सके। धन्यवाद।

श्री मंगल किसन (उड़ीसा): महोदय, मिनिस्ट्री ऑफ मॉयनारिटीज़ अफेयर्स की जो ऐनुअल डिमांड रखी गयी है, वह 2,850 करोड़ रुपये की है। मॉयनारिटी कम्युनिटी हिन्दुस्तान में एक sizable population है ओर आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश में अब तक हुए डेवलपमेंट के हर काम में इनका सहयोग है। मगर, मॉयनारिटी कम्युनिटी के साथ ही जो मुस्लिम या अदर मॉयनारिटी कम्युनिटीज़ हैं, वे हिन्दुस्तान की मेनस्ट्रीम और सरकार की जितनी भी संस्थाएँ हैं, उनसे कट कर रहती थीं। यह सिलसिला 2005-06 तक चला। इसके साथ सरकार ने यह महसूस किया कि हिन्दुस्तान में मॉयनारिटीज़ ग्रुप के जो neglected sections हैं, उनका डेवलपमेंट करना जरूरी है और बिना उनके डेवलपमेंट के देश और समाज का डेवलपमेंट संभव नहीं है। उसी के चलते यह डिपार्टमेंट बना। इस डिपार्टमेंट में मॉयनारिटीज़ की आबादी के हिसाब से जितने धन की व्यवस्था होनी चाहिए, उससे यह बहुत कम है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) पीठासीन हुए]

प्राइम मिनिस्टर ने जो 15-प्वायंट्स डायरेक्शंस दी हैं, उन डायरेक्शंस के मुताबिक जहाँ मॉयनारिटी कम्युनिटी की आबादी ज्यादा है, उस एरिया में हर डिपार्टमेंट से कुछ न कुछ परसेंटेज़ धनराशि, at least 15 per cent of the total allocation should be spent for the development of minorities. इंदिरा आवास योजना, ड्रिंकिंग वाटर के प्रोग्राम्स, रोड सेक्टर के प्रोग्राम्स तथा डेवलपमेंट प्रोसेस के हर सेक्टर में मॉयनारिटी सेक्शन के रिप्रेजेंटेशन का जो प्रतिशत है, वह उनको मिल रहा है या नहीं, उसकी छानबीन करने के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। जो ब्यूरोक्रैट्स हैं, वे अपने हिसाब से परसेंटेज़ निकाल कर डिपार्टमेंट को दे देते हैं कि मॉयनारिटी सेक्टर के लिए this amount has been spent. यह उसी हिसाब से चलता आ रहा है। इससे टोटल मॉयनारिटी सेक्शन का overall development होना संभव नहीं है। इस डिपार्टमेंट के जो माननीय मंत्री हैं, उन्होंने इस डिपार्टमेंट के काम में कुछ हद तक तेजी लाकर मॉयनारिटी

सेक्शन के लोगों के मन में आशा का कुछ संचार किया है मगर इतना ही sufficient नहीं होगा। इसका एक कारण यह है कि 90 डिस्ट्रिक्ट्स, जहाँ मॉयनारिटीज़ की पॉपुलेशन ज्यादा है, उनको आपने मल्टीसेक्टर डेवलपमेंट के अंदर रखा है, मगर मॉयनारिटी कम्युनिटी शहर से लेकर दुर्गम अंचल, जिसको हम inaccessible area कहते हैं, उन्हीं जगहों में वास करते हैं। जहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, उन एरियाज़ के हर गाँव और पंचायत में भी मॉयनारिटीज़ की कुछ न कु छ आबादी है।

शहरों में रहने वाले और इकट्ठा रहने वाले माइनॉरिटी लोगों में सबसे दयनीय अवस्था उन लोगों की है, जो inaccessible pockets में रहते हैं। उनके दुखों और तकलीफों को सुनने वाला कोई नहीं है। अभी जो व्यवस्था है, उसके अंतर्गत उनको समाज के अंदर assimilate करने के लिए अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। ऐसा कोई तरीका नहीं है, जिससे वे लोग सरकार की व्यवस्था में समाज के साथ चलने के लिए तैयार हो सकें। वे लोग समाज से कटकर रहते हैं। They are living in segregation. So, according to me, the minority communities who are living in inaccessible areas, though the density of population is very low, उनके विषय में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि उनके दुख और तकलीफें बहुत ज्यादा हैं। Those who are living in cities, those who are living in compact areas, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, their living conditions are good. But the people who are living in inaccessible areas, have more problems. So, the Government must take some initiatives to attend to their problems; otherwise, आज़ादी को आज 64 साल हो गए हैं, और 64 सालों के बाद भी, they will remain unattended and they will feel neglected. मेरी इस हाउस के माध्यम से सरकार से दरख़्वास्त है कि there should be some changes in the Programmes. ...*(Time-bell rings)*...

Sir, the Christian people are also in minority. They think that still, they are not able to assimilate themselves with the main society and avail themselves of the benefits of the programmes launched by the Government. They feel that they are being neglected. They are well-educated. So, I request the Department of Minority Affairs and also the Minister that they should give priority to their educational development, which is very important. So, with these words, I conclude, Sir. Thank you.

श्री विनय कटियार (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जो घुसपैठिए देश के अंदर आ रहे हैं, वे इस देश की प्रगति में बाधा पहुंचा रहे हैं ...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): कटियार जी, आप इस तरह से मत बोलिए ...*(व्यवधान)*... आपका इस तरह बोलना सही नहीं है ...*(व्यवधान)*... इनकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी ...*(व्यवधान)*...

श्री विनय कटियार: *

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): कटियार जी, आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है ...*(व्यवधान)*... आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है ...*(व्यवधान)*... कटियार जी, आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है, आप ख़्वामख़्वाह हाउस का समय बर्बाद कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*... आप सुन रहे हैं या नहीं? इनकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी ...*(व्यवधान)*... प्लीज़, आप बैठिए, ...*(व्यवधान)*... महेन्द्र मोहन जी, आप बोलिए।

श्री महेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं सलमान भाई को बधाई देना चाहूंगा, जिन्हें यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय दिया गया है। हमें उनसे बहुत सी आशाएं हैं कि वे अल्पसंख्यकों की

*Not recorded.

सी समस्याओं को हल करेंगे। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि केवल मुसलमान लोग ही अल्पसंख्यक नहीं हैं, बल्कि हमारे सिख भाई, बौद्ध भाई, पारसी भाई, जैन भाई — ये सभी लोग भी अल्पसंख्यक हैं। स्थान के अनुसार अल्पसंख्यक की परिभाषा भी बदल जाती है। कहीं पर कोई बहुसंख्यक हो जाता है तथा कहीं पर कोई अल्पसंख्यक हो जाता है।

हमारे यहां इस समय देश के कुल अल्पसंख्यकों में से लगभग17 करोड़ 70 लाख मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं।...*(व्यवधान)*...

श्री विनय कटियार: सर, यह आंकड़ा नहीं है...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): कृपया आप बैठिए।...*(व्यवधान)*... उनको बोलने दीजिए, आप बीच में क्यों बोलते हैं?...*(व्यवधान)*...

श्री विनय कटियार: सर...*(व्यवधान)*...

श्री महेन्द्र मोहन: आंकड़ा आपके हिसाब से नहीं है..*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): विनय कटियार जी, आप मत बोलिए...*(व्यवधान)*... आपको मैं समझा रहा हूँ...*(व्यवधान)*... वे बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)*... उनका समय बर्बाद हो रहा है।...*(व्यवधान)*... कृपया आप बैठिए।...*(व्यवधान)*...

श्री विनय कटियार: सर...*(व्यवधान)*...

श्री महेन्द्र मोहन: सर, मेरा समय नहीं निकलना चाहिए।...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): आपके अहलुवालिया जी बोल चुके हैंआपको यह बात उनको बतानी चाहिए थी।...*(व्यवधान)*...

श्री विनय कटियार: *

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): इनकी कोई भी बात रिकॉर्ड नहीं होगी।...*(व्यवधान)*... ये जो भी बोल रहे हैं, वह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।...*(व्यवधान)*...

श्री विनय कटियार: *

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): महेन्द्र मोहन जी, आप बोलिए।...*(व्यवधान)*...

श्री महेन्द्र मोहन: सर, आप सभा में शांति तो बनाइए, तब तो मैं बोलूं।...*(व्यवधान)*...

श्री विनय कटियार: *

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): आप बार-बार interrupt कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*...

श्री विनय कटियार: *

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): कृपया आप बैठिए।...*(व्यवधान)*... जब आपका समय था, तब आपको बोलना चाहिए था।...*(व्यवधान)*...

श्री विनय कटियार: *

---

*Not recorded.

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): आपकी पार्टी को समय दिया गया था...***(व्यवधान)***... आपकी पार्टी से उन्होंने क्यों नहीं बात की?...***(व्यवधान)***... आप बीच में बोल रहे हैं? ...***(व्यवधान)***...

श्री विनय कटियार: *

श्री महेन्द्र मोहन: सर, मेरा समय दोबारा शुरू करवाया जाए।...***(व्यवधान)***...

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): ऐसे में तो बहुत मुश्किल है...***(व्यवधान)***... कृपया आप बैठिए।...***(व्यवधान)***...

श्री विनय कटियार: *

श्री महेन्द्र मोहन: सर, भारत में मुसलमानों की आबादी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इनमें से लगभग 47 प्रतिशत आबादी भारत के तीन राज्य यथा बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में रह रही है। अगर *per capita* Plan expenditure को देखा जाए, ...***(व्यवधान)***... तो वर्ष 2010-11 में इस समुदाय के लोगों को सिर्फ 497 रुपए दिए गए थे ...***(व्यवधान)***... जब कि अनुसूचित जातियों के लिए यह धनराशि 1228 रुपए थी और अनुसूचित जनजातियों के लिए यह धनराशि 1521 रुपए थी। ...***(व्यवधान)***... इतनी कम राशि से किस तरह मुस्लिम समुदाय की तरक्की और उन्नति की बात सोची जा सकती है। हर साल उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल के मुस्लिम नौजवान अपने गांव में शहर में जाते हैं। वहां फैक्ट्रियों में काम करते हैं और साल में एक-आध बार ही वापिस जा पाते हैं। वहां पर उनके बूढ़े माता-पिता नौकरी करते हैं, बीड़ी आदि बनाने का काम करते हैं। वहां उन्हें लगभग 50 रुपए की दिहाड़ी दी जाती है। उस ओर भी ध्यान दिया जाए कि वहां उनकी दिहाड़ी कैसे बढ़े।

सर, आज धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग 19 प्रतिशत है, परंतु Plan expenditure में उनके लिए जो विभिन्न योजनाएं बनाई जाती हैं, उनमें केवल 5 परसेंट Plan expenditure के रूप में खर्च किया जाता है। मेरा अनुरोध है कि इस धनराशि को बढ़ाया जाए। निश्चित रूप से जैसा कि अभी कहा जा चुका है कि वक्फ बोर्ड वाली जो बात है, उस ओर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उन्हें हम केवल सहायता न दें, चाहे वह कोई भी अल्पसंख्यक हो, चाहे वह सिख समुदाय हो, चाहे मुस्लिम समुदाय हो या पारसी समुदाय हो। हम उन्हें आत्म सम्मान का जीवन जीने का मौका दें। उन्हें अपने पैरों पर आत्म निर्भर बनने का मौका दें। उनकी जो संपत्तियां पड़ी हुई हैं, उनका सदुपयोग किया जाए और उनसे पैसे का अर्जन किया जाए।

यह बात भी सही है कि जो Minority Financial Corporation है, उसकी जो 25 हजार रुपए की सीमा है, यह कुछ भी नहीं है। इस सीमा को निश्चित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे अल्पसंख्यकों को रोजगार करने के लिए, अपने कार्यों को करने के लिए लोन मिल सके और उसके आधार पर वे अपने आपको आगे बढ़ा सकें। वे अपने देश के लिए एक अच्छे नागरिक बन सकें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें।

सच्चर समिति अल्पसंख्यकों की स्थिति को समझने तथा उनके उत्थान के लिए सुझाव देने के लिए बनाई गई थी। उसके सुझाव के चलते Multi-sectoral Development Programme के तहत देश भर में 90 जिले identify किए गए, जहां 25 प्रतिशत से अधिक मुसलमान रहते हैं। इन जिलों में अधिकारी उन इलाकों के विकास के लिए प्रोग्राम्स बनाते हैं, जो विशेषतया आधारभूत ढांचे के विकास के लिए होते हैं, परंतु इनका क्रियान्वन नहीं हो पाता है। ये अधिकारी मुस्लिम जनसंख्या वाले इलाकों के लिए जो प्रोग्राम्स बनाते हैं।

---

*Not recorded.

...(व्यवधान)... ...(समय की घंटी)... / सर, जो समय बर्बाद हो गया है, वह दिया जाए। समय को आगे बढ़ाया जाए।

उपसभाध्यक्ष *(श्री तारिक अनवर):* हां, आपको एक मिनट ज्यादा समय दिया गया है। *...(व्यवधान)...*

श्री महेन्द्र मोहन: सर, मेरे तीन मिनट समय बर्बाद हुए थे। *...(व्यवधान)...* मुस्लिम समुदाय की बस्तियों में बहुत ही कम स्कूल हैं। *...(व्यवधान)...* उनकी शिक्षा के लिए उन्हें काम दिया जाए।*...(व्यवधान)...* जब तक अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षित नहीं किया जाएगा, उनको आत्म निर्भर नहीं बनाया जाएगा, तब तक Minority Ministry का कार्य पूरा नहीं होता है। हम केवल यह सोचें कि हम उन्हें कभी-कभी कुछ पैसा दे दें, कुछ सहायता दे दें और उससे वे आगे बढ़े जाएंगे। इससे अल्पसंख्यक समुदाय का भला नहीं होने वाला है।

उसके लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाएं, जिसमें self employment generate हो, जिनके अंदर उन्हें आगे कार्य करने का मौका मिले और वे अपने परिवारों को और आगे बढ़ा सकें। मनरेगा के अंदर भी जो कार्य किए जाते हैं, उसमें मुस्लिम बहुल इलाकों में job card holding 13 प्रतिशत है, जबकि अन्य क्षेत्रों में यह 40 प्रतिशत, तो वहां पर भी इनको और मौका दिया जाए। बैंकों से जो loans दिए जा रहे हैं, उनमें निश्चित रूप से भेदभाव किया जा रहा है। यह भेदभाव समाप्त होना चाहिए ताकि अल्पसंख्यकों को भी बैंकों से लोन मिले, चाहे वे सिख समुदाय के अल्पसंख्यक हों, चाहे मुस्लिम समुदाय के अल्पसंख्यक हों, या परसी समुदाय के अल्पसंख्यक हों। अल्पसंख्यक का अर्थ है अल्प संख्यक, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें हों।

सर, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बहुत से सुझाव दिए गए हैं, जैसे मुस्लिमों के विकास के लिए अलग से सब-प्लान हो, जो सिर्फ उन्हीं पर खर्च किया जाए, जैसे Scheduled Castes and Scheduled Tribes के लिए किया गया है। यह भी कहा गया है कि इस राशि का अधिकतर हिस्सा स्कूल व तकनीकी संस्थान बनाने पर खर्च हो और उसमें stipends and scholarships दी जाएं। बैंक मुस्लिम समुदाय को अच्छे कर्ज़ दें ***...(समय की घंटी)...*** पारिश्रमिक से उसको आगे बढ़ाएं। इसी प्रकार Islamic Banking की जो बात कही गई थी, Islamic Banking वाला concept तो हमारे देश में लाया जाना चाहिए।

सर, मैं इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 1984 के दंगों में जो सिख परिवार पीड़ित हुए थे, आज तक उनको हर्जाना नहीं मिला है। उन सबके हर्जाने निपटाए जाएं। अभी पिछले सप्ताह की इस सदन में यह मामला उठाया गया था कि हरियाणा के हिसार ज़िले में 1984 के दंगों में मारे गए कई सिखों के शव मिले, लेकिन उसके संबंध में कोई कार्यवाही*...(समय की घंटी)...* नहीं की गई है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, उस ओर ध्यान दिया जाए।

सर, देश में तकरीबन 70,000 पारसी हैं, उनके उत्थान के लिए क्या किया जा रहा है, उस ओर भी ध्यान दिया जाए। अंत में मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस सरकार में योजनाएं बहुत अच्छी बनती हैं और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में और अच्छी योजनाएं बनेंगी, ताकि हमारा अल्पसंख्यक समुदाय आत्मनिर्भर हो और आगे बढ़े, लेकिन उनकी monitoring, उनके implementation की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। अगर सही implementation नहीं होगा, सही monitoring नहीं होगी, तो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आप self employment generate नहीं कर सकेंगे और इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। जब आप उन्हें आगे बढ़ाएंगे, तभी यह देश आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): धन्यवाद महेन्द्र मोहन जी। श्री सैयद अज़ीज़ पाशा *...(व्यवधान)...*

डा. चन्दन मित्रा (मध्य प्रदेश): सर, मेरा एक निवेदन है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी माननीय सदस्य ने जो बात कही, मैं उसको बिल्कुल सही मानता हूं कि अल्पसंख्यकों के लिए और ज्यादा प्रावधान होना चाहिए, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो*

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): आप फिर वही बात कर रहे हैं! ...*(व्यवधान)*... फिर वही बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*... नहीं, नहीं, जब आपकी पार्टी को समय दिया गया था, तब आपको यह सुझाव देना चाहिए था, उस समय आपको बोलना चाहिए था। ...*(व्यवधान)*... आपकी पार्टी को पूरा समय दिया गया। ...*(व्यवधान)*... नहीं, नहीं, यह बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। ...*(व्यवधान)*... सैयद अज़ीज़ पाशा जी, बोलिए। ...*(व्यवधान)*... हो गया... हो गया...*(व्यवधान)*... विनय कटियार जी...*(व्यवधान)*... देखिए, आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए। इस तरह से interrupt मत कीजिए। ...*(व्यवधान)*... आपकी पार्टी को समय दिया गया था, आपकी पार्टी के लोगों ने बोला था, उस समय आप लोगों ने बात क्यों नहीं की? उस समय आपने क्यों नहीं कहा? ...*(व्यवधान)*... नहीं, इस तरह से आप डिस्टर्ब मत कीजिए। ...*(व्यवधान)*... देखिए... प्लीज़, इस तरह से interrupt मत कीजिए। पाशा जी को बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*... आपकी पार्टी को जब समय दिया गया था, तब आपको इन बातों को बोलना चाहिए था, उठाना चाहिए था। अब आप बीच में नहीं बोल सकते। ...*(व्यवधान)*... दूसरों का समय आप नहीं ले सकते। ...*(व्यवधान)*... सैयद अज़ीज़ पाशा जी, बोलिए। ...*(व्यवधान)*... कटियार जी, आप बैठिए, आपकी बात record पर नहीं जाएगी। इन लोगों की बात record पर नहीं जाएगी। अज़ीज़ पाशा जी, बोलिए। ...*(व्यवधान)*... कटियार जी, कोई फायदा नहीं है, आप बोल रहे हैं, लेकिन आपकी बात record पर नहीं जा रही है। आप बीच में interrupt कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*... बिल्कुल नहीं ...*(व्यवधान)*... कोई बात बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*... आपकी बात ...*(व्यवधान)*... सुनिए ...*(व्यवधान)*... विनय कटियार जी, अभी आपकी पार्टी के एक स्पीकर और बोलने वाले हैं, अगर आपको बोलना है, तो आप अपनी पार्टी से समय ले लीजिए कि आपको बोलना है, लेकिन इस तरह से आप disturb नहीं कर सकते। आप दूसरे का समय नष्ट नहीं कर सकते। ...*(व्यवधान)*... नहीं, आप समय नष्ट कर रहे हैं। आप बैठिए.. प्लीज़... नहीं, नहीं, यह गलत बात है। ...*(व्यवधान)*... हो गया, आपकी बात सुन ली है। बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*... आपकी पार्टी को समय मिलेगा, आपकी पार्टी को अभी और समय मिलेगा।

आपको जो बात कहनी है, आप उस समय कहिएगा। अभी आप बैठिए। ...*(व्यवधान)*... आप अपनी पार्टी से परमिशन लीजिए, अपने नेता से बात कीजिए। यह गलत बात है। ...*(व्यवधान)*... आप इस तरह से बार-बार interrupt कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*... आपको जहां जाना है, जाइए। ...*(व्यवधान)*... फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ...*(व्यवधान)*... आप बैठिए। ...*(व्यवधान)*... पाशा जी, आप बोलिए। ...*(व्यवधान)*...

SHRI SYED AZEEZ PASHA (Andhra Pradesh): Sir, thank you for giving me this opportunity...*(Interruptions)*...

श्री राम कृपाल यादव (बिहार): इनका असली चेहरा यही है। इनके माननीय सदस्य...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): अब आप भी चुप रहिए। ...*(व्यवधान)*... आप बात को मत बढ़ाइए। ...*(व्यवधान)*...

श्री सैयद अजीज पाशा: अब आप बीच में क्यों आ गए हैं?...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): ...*(व्यवधान)*... राम कृपाल जी, आप बैठिए। अज़ीज़ पाशा साहब बोल रहे हैं, आप बैठिए।...*(व्यवधान)*...

श्री राम कृपाल यादव: कहने के लिए कुछ और और करने के लिए कुछ और।...*(व्यवधान)*...

*Not recorded.

श्री विनय कटियार: आप लोगों का चेहरा...*(व्यवधान)*...

श्री राम कृपाल यादव: यही आपकी असलियत है।...*(व्यवधान)*...

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): आप लोगों ने ...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): राम कृपाल जी, आप बैठिए। ...*(व्यवधान)*... आप भी बैठिए। ...*(व्यवधान)*... आप लोग बैठिए।...*(व्यवधान)*... आप लोग सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*... राम कृपाल जी, आप बैठिए। ...*(व्यवधान)*... अहलुवालिया जी, आप अपने सदस्यों को नियंत्रित कीजिए।...*(व्यवधान)*...

श्री रुद्रनारायण पाणि: आपका चेहरा...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): आप बैठिए।...*(व्यवधान)*... प्लीज़...*(व्यवधान)*... राम कृपाल जी, आप भी बैठिए।...*(व्यवधान)*...

श्री राम कृपाल यादव: यही आपका असली चेहरा है।...*(व्यवधान)*... मैं बता रहा हूं...*(व्यवधान)*...

श्री रुद्रनारायण पाणि: तुम क्या बोलोगे?...*(व्यवधान)*... तुम तो खुद ...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): आप अनपार्लियामेंटरी बात मत कहिए।...*(व्यवधान)*... आप लोग बैठिए, आप लोग प्लीज़ बैठिए।...*(व्यवधान)*...

श्री विनय कटियार: महोदय, ये लोग...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): कटियार जी, आप भी बैठिए।...*(व्यवधान)*... राम कृपाल जी, आप बैठिए। ...*(व्यवधान)*... पाशा जी को बोलने दीजिए...*(व्यवधान)*...

श्री विनय कटियार: आप अपना चेहरा देख लो कि आपका चेहरा कौन सा है।...*(व्यवधान)*...

श्री सैयद अज़ीज पाशा: आप कब तक ऐसा करेंगे? अब खत्म करिए।...*(व्यवधान)*...

श्री विनय कटियार: आप अपना चेहरा देख लो।...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): कटियार जी, आप बैठिए।...*(व्यवधान)*...

श्री सैयद अजीज पाशा: इसमें इतना टाइम बर्बाद हो गया है।...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): आप लोग पाशा जी को बोलने दीजिए। उनका समय नष्ट मत कीजिए ...*(व्यवधान)*...

SHRI SYED AZEEZ PASHA: Sir, for the past more than six decades, the minorities, especially the Muslim minorities, have suffered discrimination and deprivation and they were kept out of the process of development. As a result, they faced immense miseries and sufferings. Even before Rajinder Singh Sachar and Gopal Singh Commissions have come out with their voluminous books, my party General Secretary, Comrade A.B. Bardhan, wrote a booklet while responding to the bogies raised by certain quarters — bogey of appeasement. So, he said, what is happening in jobs; what is happening in bank loans and why they are so much backward in education. He has given all those statistics just to reply those persons who were raising the

bogey of appeasement. Sir, minorities constitute 18.42 per cent as per the 2001 Census. But the total allocation of the Budget is only 6 per cent and now it has declined to 5.3 per cent this year. For a population of 18.42 per cent, the Budget allotted is very limited. Now, for the Eleventh Five Year Plan, as my learned friend has already pointed out, only Rs. 7000 crore were allotted which comes to not even 0.5 per cent; only 0.32 per cent was allotted. This is really miserable seeing the strength of the minorities in our country. And then even in that limited amount also, the proportion of expenditure of total project is around 23.5 per cent after four years of implementation. Why is this poor performance even though our Minister of Minority Affairs, Mr. Salman Khursheed, is sincerely trying to implement all these schemes? He is pushing through. In spite of that, why is it only coming to 23.5 per cent?

So, what is the crux of the problem? I think, the reason is that the field officers, who have to implement all these programmes, are not from the Ministry of Minority Affairs. These officers are deputed from various other departments. Naturally, they take it as a punishment posting for them. So, as per the suggestion given by the Sachar Committee, we have to create our own Indian Wakf Services, where officers can be appointed. There can be good changes brought about if we implement this suggestion. Then, in the 15-point Programme, it is already pointed out that priority should be given to minorities in the disbursement of loans. But, due to lack of collateral security, they are not able to get the loans. We are seeing that the RBI guidelines are also being violated, and I don't think that even 4 to 5 per cent loans are being given to them. Sir, the MSDP is restricted to only 90 districts. We are told that another 30 districts will be added. But, they have not been added till now. Due to eight parameters where we have kept the population strength of minorities to 30 per cent, only a limited number of districts will come. First of all, the suggestion given by our Deputy Chairman to bring the blocks and not the districts will be more fruitful. *(Time-bell rings)* Secondly, instead of 30 per cent, if we bring it down to 15 per cent, we can cover more population.

Lastly, Sachar Committee has given certain recommendations about certain affirmative actions and creating some agencies like Equal Opportunity Commission and 'diversity index'. All these things have not been done properly. Even though scholarship scheme is very good but it should be made demand-driven. Only allocating some scholarships will not help because most of the people are now becoming aware about this scheme. Now, lakhs of people are applying for the scholarships. But, due to the constraint in the allotment, most of the people are not in a position to be covered.

Then, the Wakf Act should also be taken into consideration. If we take it up properly, all the Wakf properties can be saved. Out of 1,86,000 Wakf properties, 1,68,000 properties are already encroached upon. That is the condition in various parts of the country also. We have to now take

it up as a priority agenda to save all the Wakf properties and then to use it for the welfare of the Muslim community.

DR. (SHRIMATI) KAPILA VATSYAYAN (Nominated): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. I am a minority due in the majority voice of this House. Sir, while appreciating the work of this Ministry and the hon. Minister, who carries with him a very rich patrimony of the cultural fabric of this country, I would like to say that this debate has brought up issues in terms of who gets what at the economic level and at the sphere of what we have called, development in the vertical linear model. This country is a country of plural societies, of cultural diversity where my little finger is as important as my head. That is the paradigm of this, what we call, the Indian cultural civilisational model. Points have been raised here in terms of the Constitutional provisions are which well taken at one level and at, perhaps, at those levels of empowerment, but there is today, after 63 years, time to reflect on this whole minority-majority question because only a single identity is being acknowledged and each one of us has multi-identities. I do not know how much of Christianity I have in me; how much of Islam I have in me; how much of Pali I have in me; how much of Prakrit I have in me; how much Arabic, Persian I have in me... and not recognizing the possibility of these multi-identities, with which we live. These multi-identities have been possible for the continuity of this culture, if we are going to negate them by bringing up single-identity, it won't help. My colleague talked about the North East. Can we say that all the Christians in the North East are not tribals? So, then, there is a connection between the SC, the ST, the minorities, and, there has to be an integral approach to this.

What happens in the crafts sector? Many of the minorities are specialized workers. It goes for the weavers of Banaras who make our brocades, it goes for the Moradabad metal workers and, it goes for Khurja pottery workers. Their specialized skills are not taken into cognizance in the formal system of education at all. Why is it not possible to upgrade those skills? I have just come from a workshop, which is being held have been holding on the Parsis, on the special skills of the Navsari weavers there. There are sixty people only who do that today. Now, none of these is taken into consideration at the policy level because it gets fragmented. So, my humble submission is that there should be a coordinating mechanism within the entire Executive amongst the Ministry of Minority Affairs, the Commission for, the SCs and the STs, the Ministry of HRD and the Ministry of Culture. We have great pride when we want to exhibit all this but we do not have that pride when we want them to be empowered on their own terms. And, there is a complexity here, Sir. Outside things are taking up political positions, and, that complexity has to be addressed with seriousness because at this time, we are in a position where many of the knowledge systems and their holders within the minorities are going to languish and perish, and, then, we shall be going back to the foreign countries to know our own heritage. Thank you, Mr. Vice-Chairman.

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): श्री अहमद सईद मलीहाबादी।

श्री तरुण विजय (उत्तराखंड)**:** महोदय, डा, कपिला जी की अत्यंत बुद्धिमतापूर्ण टिप्पणी पर एक पंक्ति कहना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): आप बाद में कहना।

श्री तरुण विजय: जो अनुसूचित जाति और जनजातियां हैं, वे देश की मुख्य धारा का गौरवशाली हिस्सा हैं, उनका अल्पसंख्यकीकरण नहीं होना चाहिए। Please stop this minoritisation.

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): धन्यवाद।

श्री अहमद सईद मलीहाबादी (पश्चिमी बंगाल)**:** शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो वज़ीर-ए-अक्लियती उमूर जनाब खुर्शीद साहब को मुबारकबाद कि उनके ओहदे में तरक्की हुई। इसके वास्ते पिछले कई सेशन में मैंने आवाज उठायी थी कि अक्लियती उमूर के वज़ीर को कैबिनेट रेंक से घटाकर राज्य मंत्री क्यों बनाया गया है? खैर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस दफा इस शिकायत को दूर किया, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी शुक्रिया और सलमान खुर्शीद साहब को मुबारकबाद। यह बात सही है कि अभी भी उनके कंधों के ऊपर एक और वज़ररत का बोझ रखा गया है और वह वाटर रिसोर्सेस है। अक्लियतों के मसायल60 वर्ष में, चाहे वे मुसलमान हों, क्रिश्चियन हों या दूसरे फ़िरक़े के लोग हों,इतने उलझे हुए हैं और इतने ज्यादा हो गए हैं कि उनके लिए एक फुल फ़्लेज मुकम्मल तौर पर एक वज़ीर के काम करने की जरूरत है। अगर कोई और वज़ीर दिन में छह घंटे काम करता है, तो अक्लियती उमूर के वज़ीर को शायद दिन में 12 घंटे, 14 घंटे काम करना होगा। बहरहाल पानी का शोबा भी उनको दिया गया है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे सूखे धानों में पानी आएगा और हमारी खेती भी हरी-भरी होगी और लहलहाएगी।

कल जब मैं अपने साथी मुख्तार अब्बास नक़वी साहब की तकरीर सुन रहा था और आज हमारे साथी अहलुवालिया साहब ने भी तकरीर की है, तो इन दोनों का ताल्लुक भी अक्लियती फिरके से है। लेकिन हमें बहुत खुशी है और मैंने कल मुख्तार अब्बास नक़वी साहब को भी मुबारकबाद दी थी और मैं आज अहलुवालिया साहब को भी मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अक्लियती के मसायल के ऊपर पूरी दर्दमंदी के साथ अपनी बात कही है। इससे ऐसा जाहिर हो रहा था कि कल तक जो लोग यह सोचते थे अक्लियती की बात करना अक्लियतों का अक्लियत नवाजी है या मॉइनोरिटीज का appeasement है, आज वे इस बात को realise कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हमारे समाज में जो तब्दीली आ रही है, उस तब्दीली को उन्हें भी तस्लीम करना चाहिए और जो सच्ची बात है, हक बात है, उसको कहना चाहिए। हम इसके लिए उम्मीद करते हैं कि जिस पार्टी से हमारे दोनों साथियों का ताल्लुक है, उसकी सोच व विचारों में भी तब्दीली आएगी। अगर ऐसी तब्दीली आती है, तो हम इसका वेलकम करते हैं। ...*(व्यवधान)*... नहीं आएगी तो उम्मीद तो करते हैं। अभी कटियार साहब जिस तरह से इन्टरवीन कर रहे थे, उससे तो कुछ शक हो रहा था, लेकिन हर पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा ज़हन बनेगा, अगर समाज को चलाना है, पूरी कौम और देश को एक साथ लेकर चलना है, तो सबको उसमें मदद करनी चाहिए।

अभी यहां पर सच्चर कमेटी के सिलसिले में और वजीरे आजम का15 नुकाती जो फलाही प्रोगाम हैं, अक्लियतों के लिए, उनके बारे में कहा गया है। सबसे अहम बात यह है कि UPA गवर्नमेंट ने जो काम किया है, उसकी सराहना करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसने अक्लियतों के लिए वजारत कायम की है। अगर यह वजारत कायम नहीं होती और सच्चर कमेटी न बनती, रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट न आती, सारे काम न होते

और आज हम यहां बैठकर चर्चा भी नहीं कर रहे होते। कम से कम इस पर बात तो हो रही है, वरना पहले तो अक्लियतों के बारे में और खासतौर पर अगर मुस्लमानों के बारे में बात की जाती थीतो सबसे पहले यह कहा जाता था कि साहब, आप तो पाकिस्तानी ज़हन के आदमी मालूम होते हैं, आप फिरकापरस्त हैं। यानी मुस्लमान की बात करना फिरकापरस्ती थी। आज माहौल बदला है। अगर कोई मुस्लमानों की या अक्लियतों की बात नहीं करेगा, तो लोग उससे पूछते हैं कि क्या आप सेक्युलर नहीं हैं, जो आप इस तरह की बात नहीं करते हैं? एक तरह से यह तब्दीली आई है और इस तब्दीली का असर हमें दूसरे तरफ भी नजर आ रहा है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है।

मुझे इस बात की खुशी है और मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि हमारा इस वजारत के तहत काम शुरू हो गया है, लेकिन यह बात सही है कि काम बहुत ही सुस्त रफ्तार से हो रहा है। आम तौर से जिस तरह सरकारी काम बहुत सुस्त रफ्तार से होते हैं और उनके अंदर उस गाड़ी को ठेलने के लिए भारी मुसीबत उठानी पड़ती है, वह सिलसिला यहां भी चल रहा है। सबसे बड़ी मुसिबत यह है कि बगैर रिसोर्सेज के, बगैर वसायल के, बगैर ज़राय के हमारा जो बजट अक्लियतों के वास्तेअक्लियती वजरात का होगा, वह कम से कम रखा जाएगा तथा उसको और घटा दिया जाएगा। यह बात तो मैंने पहले भी कही थी कि साहब, यह तो ऊंट के मुंह में जीरा है। जो आपने हमें पहले दिया, उसमें से अब एक चुटकी हमारे प्रणब बाबू ने निकाल ली है, यह बात सही नहीं है। *...(समय की घंटी)...* आज हम यह बात महसूस करते हैं कि अक्लियतों के फलाहो बहबूद के लिए, वजारते अक्लियती उमूर के बजट में इजाफा होना चाहिए और इस बजट का सहीसही इस्तेमाल होना चाहिए। मगर जो सबसे बड़ी मुसीबत है, वह यह है कि ज्यादातर रियास्ती हुकुमतें तावुन नहीं कर रही हैं। एक दो रियास्तों ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया है कि हम अपने यहां सच्चर कमेटी का कोई निफाज़ नहीं चाहते हैं, उस पर कोई काम नहीं करना चाहते हैं। *...(समय की घंटी)...* बल्कि उन्होंने अपनी अलग से योजनाएं बनाई हैं, मजसूबे बनाए हैं, जिनसे सबको फायदा पहुंचेगा, लेकिन यह भी कहा है कि हम अक्लियतों के लिए अलग से कोई काम नहीं करेंगे। वजारते अक्लियती उमूर के सिलसिले में जो हमारी स्टेंडिंग कमेटी है, उसकी रिपोर्ट इस सिलसिले में काफी चौंका देने वाली है। उन्होंने इसके बारे में कहा है कि रियास्ती हुकुमतें ताबून नहीं कर रही हैं, उनका को-ऑपरेशन नहीं मिल रहा है। इसके लिए मर्कज को वजारते अक्लियती उमूर को सोचना होगा कि रियास्ती हुकूमतों का ताबून किस तरह हासिल किया जाए, अगर हासिल नहीं होता है तो फिर क्या किया जाए।

इसलिए मैं आपसे एक बात साफ करना चाहता हूं और वह यह है कि *...(व्यवधान)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): मलीहाबादी जी, समय हो गया है।

श्री अहमद सईद मलीहाबादी: जो 60 साल का backlog लग गया है, क्या उसे दूर करने में आप और 60 साल लगाएँगे? मैं अपनी बात को सिर्फ इस एक शेर पर ख़त्म करना चाहता हूँ।

"हमने माना कि तग़ाफ़ुल न करोगे लेकिन
ख़ाक हो जाएँगे हम तुमको ख़बर होने तक।"

आपको भी ख़बर हो गई है और सबको ख़बर हो गई है, लेकिन अब हमारा कुछ इलाज करिए, क्योंकि अब हमसे यह मुसीबत, जिस तरह अक्लियतें पस्ती में गिर गई हैं, दलितों से भी बदतर उनकी हालत हो गई है और कौन सी सतह है, जिसके ऊपर हमको ले जाया जाएगा। अक्लियतें अपना हक़ चाहती हैं। हमारे अहलुवालिया साहब ने कहा है कि हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं,अपना हक़ चाहते हैं और बराबरी की हिस्सेदारी चाहते हैं, वह आप हमको दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।

جناب احمد سعید ملیح آبادی(مغربی بنگال)

شکریہ جناب، سب سے پہلے تو وزیر اقلیتی امور، جناب خورشید صاحب کو مبارکباد، کہ ان کے عہدے میں ترقی ہوئی۔ اس کے واسطے پچھلے کئی سیشن میں میں نے آواز اٹھائی تھی کہ اقلیتی امور کے وزیر کو کیبنیٹ رینک سے گھٹا کر راجیہ منتری کیوں بنایا گیا ہے۔ خیر وزیر اعظم صاحب نے اس دفعہ اس شکایت کو دور کیا، تو وزیر اعظم صاحب کا بھی شکریہ اور سلمان خورشید صاحب کو مبارکباد۔ یہ بات صحیح ہے کہ ابھی بھی ان کے کندھوں کے اوپر ایک اور وزارت کا بوجھہ رکھا گیا ہے اور وہ واٹر ریسورسز ہے۔ اقلیتوں کے مسائل 60 سالوں میں، چاہے وہ مسلمان ہوں، کرشچئن ہوں یا دوسرے فرقے کے لوگ ہوں، اتنے الجھے ہوئے ہیں اور اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان کے لئے ایک فل-فلیش، مکمل طور پر ایک وزیر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اور وزیر دن میں چھہ گھنٹے کام کرتا ہے، تو اقلیتی امور کے وزیر کو شاید دن میں 12 گھنٹے، 14 گھنٹے کام کرنا ہوگا۔ بہرحال پانی کا شعبہ بھی ان کو دیا گیا ہے، تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے سوکھے دھانوں میں پانی آئے گا اور ہماری کھیتی بھی ہری بھری ہوگی اور لہرائے گی۔ کل جب میں اپنے ساتھی مختار عباس نقوی صاحب کی تقریر سن رہا تھا اور آج ہمارے ساتھی اہلووالیہ صاحب نے بھی تقریر کی ہے، تو ان دونوں کا تعلق بھی اقلیتی فرقے سے ہے۔ لیکن ہمیں بہت خوشی ہے اور میں نے کل مختار

†[ ]Transliteration in Urdu Script.

عباس نقوی صاحب کو بھی مبارکباد دی تھی اور میں آج اہلووالیہ صاحب کی بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اقلیتوں کے مسائل کے اوپر پوری دردمندی کے ساتھہ اپنی بات کہی ہے۔ اس سے ایسا ظاہر ہورہا تھا کہ کل تک جو لوگ یہ سوچتے تھے اقلیت کی بات کرنا اقلیتوں کی اقلیت نوازی ہے یا مائنارٹیز کا appeasement ہے، آج وہ اس بات کو realize کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے سماج میں جو تبدیلی آ رہی ہے، اس تبدیلی کو انہیں بھی تسلیم کرنا چاہئے اور جو سچی بات ہے، حق بات ہے، اس کو کہنا چاہئے۔ ہم اس کے لئے امید کرتے ہیں کہ جس پارٹی سے ہمارے دونوں ساتھیوں کا تعلق ہے، اس کی سوچ اور وچاروں میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اگر ایسی تبدیلی آتی ہے، تو ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں ---(مداخلت)--- نہیں آئے گی، تو امید کرتے ہیں۔ ابھی کٹیہار صاحب جس طرح سے انٹروین کر رہے تے، اس سے تو کچھہ شک ہو رہا تھا، لیکن ہر پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ایک اچھا ذہن بنے گا، اگر سماج کو چلانا ہے، پوری قوم اور دیش کو ایک ساتھہ لے کر چلنا ہے، تو سب کو اس میں مدد کرنی چاہئے۔

ابھی یہاں پر سچر کمیٹی کے سلسلے میں اور وزیر اعظم نے 15 نکاتی جو فلاحی پروگرام ہے، اقلیتوں کے لئے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یو۔پی۔اے۔ گوورنمنٹ نے جو کام کیا ہے، اس کی سراہنا کرنا بہت ضروری ہے کیوں کہ اس نے اقلیتوں کے لئے وزارت قائم کی ہے۔ اگر یہ وزارت

قائم نہیں ہوتی اور سچر کمیٹی نہ بنتی، رنگاناتھن کمیشن کی رپورٹ نہ آتی، یہ سارے کام نہ ہوتے ۔ اور آج ہم یہاں بیٹھ کر چرچا بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ کم سے کم اس پر بات ہو رہی ہے، ورنہ پہلے تو اقلیتوں کے بارے میں اور خاص طور پر اگر مسلمانوں کے بارے میں بات کی جاتی تھی، تو سب سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ صاحب، آپ تو پاکستانی ذہن کے آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ فرقہ پرست ہیں۔ یعنی مسلمان کی بات کرنا فرقہ پرستی تھی۔ آج ماحول بدلا ہے، اگر کوئی مسلمان کی یا اقلیتوں کی بات نہیں کرے گا، تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ سیکولر نہیں ہیں، جو آپ اس طرح کی بات نہیں کرتے ہیں؟ ایک طرح سے یہ تبدیلی آئی ہے اور اس تبدیلی کا اثر ہمیں دوسری طرف بھی نظر آ رہا ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔

مجھے اس بات کی خوشی ہے اور میں یہ کہنے کے لئے تیار ہوں کہ ہمارا اس وزارت کے تحت کام شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ کام بہت ہی سست رفتار سے ہو رہا ہے۔ عام طور سے جس طرح سرکاری کام بہت سست رفتار سے ہوتے ہیں اور ان کے اندر اس گاڑی کو ٹھیلنے کے لئے بھاری مصیبت اٹھانی پڑتی ہے، وہ سلسلہ یہاں بھی چل رہا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بغیر رسورسز کے، بغیر وسائل کے، بغیر ذرائع کے ہمارا جو بجٹ اقلیتوں کے واسطے، اقلیتی وزارت کا ہوگا، وہ کم سے کم رکھا جائے گا، اس کو اور گھٹا دیا جائے گا۔ یہ بات تو میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ صاحب، یہ تو اونٹ کے منھ میں زیرا ہے۔

جو آپ نے ہمیں پہلے دیا، اس میں سے اب ایک چٹکی ہمارے پرنب بابو نے نکال لی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے ---(وقت کی گھنٹی)--- آج ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لئے، وزارت اقلیتی امور کے بجٹ میں اضافہ ہونا چاہئے اور اس بجٹ کا صحیح صحیح استعمال ہونا چاہئے۔ مگر جو سب سے بڑی مصیبت ہے، وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ریاستی حکومتیں تعاون نہیں کر رہی ہیں۔ ایک دو ریاستوں نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپنے یہاں سچّر کمیٹی کا کوئی نفاذ نہیں چاہتے ہیں، اس پر کوئی کام نہیں کرنا چاہتے ہیں ---(وقت کی گھنٹی)--- بلکہ انہوں نے اپنی الگ سے یوجنائیں بنائی ہیں، منصوبے بنائیں ہیں، جن سے سب کو فائدہ پہنچے گا، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ ہم اقلیتوں کے لئے الگ سے کوئی کام نہیں کریں گے۔ وزارت اقلیتی امور کے سلسلے میں جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، اس کی رپورٹ اس سلسلے میں کافی چونکا دینے والی ہے۔ انہوں نے اس بارے میں کہا ہے کہ ریاستی حکومتیں تعاون نہیں کر رہی ہیں، ان کا کو-آپریشن نہیں مل رہا ہے۔ اس کے لئے مرکز کو وزارت اقلیتی امور کو سوچنا ہوگا کہ ریاستی حکومتوں کا تعاون کس طرح حاصل کیا جائے، اگر حاصل نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا کیا جائے۔ اس لئے میں آپ سے ایک بات صاف کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ---(مداخلت)---

اپ سبھا پتی (شری طارق انور) : ملیح آبادی جی، سمے ہو گیا ہے۔

جو 60 سال کا : **جناب احمد سعید ملیح آبادی** : جو 60 سال کا

بیک-لوگ لگ گیا ہے، کیا اس دور کرنے میں آپ اور 60 سال لگائیں گے؟ میں اپنی بات کو صرف اس ایک شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔

ہم نے مانا کہ تغافل نہ کروگے لیکن

خاک ہو جائیں گے ہم تمکو خبر ہونے تک

آپ کو بھی خبر ہو گئی ہے اور سب کو خبر ہو گئی ہے، لیکن اب ہمارا کچھہ علاج کرئیے، کیوں کہ اب ہم سے یہ مصیبت، جس طرح اقلیتیں پستی میں گر گئی ہیں، دلتوں سے بھی بدتر ان کی حالت ہو گئی ہے اور سی سطح ہے جس کے اوپر ہم کو لے جایا جائے گا۔ اقلیتیں اپنی حق چاہتی ہیں۔ ہمارے اہلوالیہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم صرف انصاف چاہتے ہیں، اپنی حق چاہتے ہیں اور برابری کی حصہ داری چاہتے ہیں، وہ آپ ہم کو دیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔

(ختم شد)

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): शुक्रिया। श्री राजीव शुक्ल।

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): जनाब, आप जोश मलीहाबादी को याद कीजिए। इन्होंने उर्दू की तक़रीर की, उसमें मलीहाबादी की भी झलक दिखाई पड़ती है।

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष जी, मैंने जान-बूझ कर अल्पसंख्यक मंत्रालय की बहस में भाग लेने का फैसला किया, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि अल्पसंख्यकों के मामले में सिर्फ अल्पसंख्यक ही इस सदन में बोलें। अल्पसंख्यक की चिंता, अल्पसंख्यक का दर्द, अल्पसंख्यक की वेदना जब तक बहुसंख्यक लोग अपनी तरफ से नहीं समझेंगे और नहीं उठाएँगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि इनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। सवाल यह कि इनके प्रति हमारा रुख क्या है, हमारी भावना क्या है, हमारी सोच क्या है, इस पर

बहुत कुछ निर्भर करता है। आप इनको कितना भी पैसा दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी सुविधाएँ दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम किस नीयत से देते हैं, किस समझ से देते हैं, हमारी क्या सोच है, यह उसमें बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। मैं अहलुवालिया जी की बात से एकदम सहमत हूँ कि जब हम अल्पसंख्यक की बात शुरू करते हैं, तो भारतीय संविधान में मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और पारसी, जिनको अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है, हम उन सबकी बात रखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की बात उठाई। आज पाकिस्तान क्यों पिछड़ गया, आज पाकिस्तान क्यों परेशान है, आज पाकिस्तान क्यों एक घायल अवस्था में, जिसे लोग टिंडर बॉक्स कहते हैं, पहुँच गया? क्योंकि, उन्होंने उस बात को नहीं समझा, उन्होंने अल्पसंख्यक को धरोहर नहीं समझा। जब तक हम अल्पसंख्यक को इस देश की राष्ट्रीय धरोहर नहीं समझेंगे, national asset नहीं समझेंगे, उनके योगदान को नहीं समझेंगे, तब तक हम उनके बारे में सही आकलन नहीं कर सकते हैं, सही विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ अपने एक वर्ग को चुना। उन्होंने माना कि उसका मुल्क होना चाहिए। जिन्ना की सोच यह नहीं थी। अगर आप 1940 के रिजोलुशन को पढ़ें जो मीनार-ए-पाकिस्तान के नीचे है, तो उन्होंने हर अल्पसंख्यक को equal rights देने की बात कही थी। यह उस रिजोलुशन में है, उसके बाद नेशनल असेम्बली में जो पहली तकरीर हुई, उसमें भी यह बात थी। लेकिन 6 महीने के अन्दर उनका इंतकाल हो गया और लियाकत अली खान ने वहाँ के पूरे आईन को बदल दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि आज पाकिस्तान इस मुसीबत से जूझ रहा है कि उन्होंने मेजॉरिटी के अन्दर माइनॉरिटी बना ली है। अहमदिया बना लिए, शिया, सुन्नी, इतने सेक्ट्स बन गए कि जब उन्हें माइनॉरिटी नहीं मिली, तो मेजॉरिटी मेजॉरिटी पर हमले करने लगी और उनकी मुसीबत हो गई। भारत की यही खूबसूरती है। यह एक ऐसा गुलदस्ता है कि यहाँ सब मिला कर, गाँधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सब सबको मिला कर चले। उसका नतीजा हुआ, उस समय लोगों की बात बुरी लग सकती थी, लेकिन आज यह गुलदस्ता फल-फूल रहा है और 9 प्रतिशत की ग्रोथ की तरफ है। उसकी वजह यही है कि हमने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। अगर हम इस भावना को सँजो कर रखेंगे, इसको बना कर रखेंगे, तभी हमारा काम बनता है। अहलुवालिया जी यह बात कर रहे थे कि वहाँ पर एक-से-एक धरोहरें थीं, उनको नष्ट कर दिया गया। लाहौर का गुरुद्वारा बेच दिया गया, अनारकली का सबसे famous गुरुद्वारा थाने में तब्दील हो गया। फिर एक दूसरे गुरुद्वारे को स्कूल बना दिया गया। मैं गुजराँवाला गया था, गुँजरावाला में महाराजा रणजीत सिंह का जो जन्म स्थान था*...(व्यवधान)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): राजीव शुक्ल जी, एक बजने वाला है, अब लंच के लिए ब्रेक*...(व्यवधान)...*

श्री राजीव शुक्ल: सर, पहले मुझे खत्म कर लेने दीजिए *...(व्यवधान)...* मैं बस दस मिनट में खत्म कर रहा हूं, बाद में ब्रेक कर लीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): दो बजे तो प्रश्न काल होगा, उसके बाद आप कंटीन्यू कर सकते हैं*...(व्यवधान)...*

श्री राजीव शुक्ल: नहीं, सर, ब्रेक की हुई स्पीच ठीक नहीं रहती है, उसकी भावना खत्म हो जाती है।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: दो बजे तो प्रश्न काल होगा, उसके बाद 3.00 बजे ये कंटीन्यू करेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): आपको मालूम है कि दो बजे प्रश्न काल होता है, उसके बाद आप बोलिएगा *...(व्यवधान)...* उसके बाद आप कंटीन्यू कर सकते हैं*..(व्यवधान)...*

श्री राजीव शुक्ल: सर, फिर तो मेरा नम्बर 3.00 बजे आएगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): जब भी आएगा, आप तब बोल लीजिएगा।

श्री राजीव शुक्ल: मैं सिर्फ पांच मिनट में खत्म कर दूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): नहीं-नहीं, 2.00 बजे क्वेश्चन आवर है।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सर, अभी आप हाउस एडजर्न कर दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर): हाउस दो बजे तक के लिए एडजर्न किया जाता है।

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House re-assembled after lunch at two of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWER TO QUESTIONS

New medical colleges in Gujarat

*261. SHRI NATUJI HALAJI THAKOR: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Medical Council of India (MCI) has recently rejected two proposals of new medical colleges to be established at Surat and Rajkot in Gujarat;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that the proposal for setting up Surat Medical College had fulfilled all the criteria as per the norms laid down by the MCI; and

(d) whether the Ministry is contemplating to get the said proposals re-examined and would consider the same in view of national interest and future of the students and, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DINESH TRIVEDI): (a) As per the information received from Medical Council of India (MCI), they have not received any application/proposal for establishment of new medical college at Surat and Rajkot.

(b) to (d) Do not arise.

श्री नतुजी हालाजी ठाकोर: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गुजरात समेत अन्य राज्यों से भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम.सी.आई.) को नये महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनमें से राज्यवार कितने प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है? गुजरात के सभी प्रस्तावों पर सरकार और एम.सी.आई...

श्री सभापति: आप अपने मेन सवाल पर जाइए। मेन सवाल से सप्लिमेंटरी निकलता है। आपका जो मेन सवाल है, उसका पहला हिस्सा पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे सवाल पूछिए।..***(व्यवधान)***... यह सवाल सूरत और राजकोट पर है।

श्री नतुजी हालाजी ठाकोर: महोदय, गुजरात के सभी प्रस्तावों पर सरकार और एमसी.आई. ने जो अध्ययन किये हैं, उनके क्या निष्कर्ष निकले और अनुमोदन में विलंब के क्या कारण हैं